राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, पब्लिक सर्विसेज
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांकः– प.16(43)आरपीजी/लोसेगाअधि/2018 दिनांक–19.01.2019

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के कियान्वयन हेतु आवंटित बजट राशि का समय पर प्रभावपूर्ण उपयोग करने बाबत।

संदर्भः– समसंख्यक पत्र दिनांक 01.04.2019 एवं 01.08.2019

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के सफल कियान्वयन के लिए इन अधिनियमों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक है एवं इनके प्रचार–प्रसार हेतु बजट उपमदों में पर्याप्त राशि भी आवंटित की गई है। संदर्भित पत्र के द्वारा विभाग के बजट मद 2053–00–800–(03)–{00}–सुशासन व्यवस्था में जिला कलक्टरों के नियंत्रणाधीन जिलों में "कार्यालय सहायक निदेशक, लोक सेवाएं" के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2019–20 हेतु राशि आवंटित की गयी है।

आईएफएमएस से प्राप्त व्यय रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश जिलो में बजट उपमद कार्यालय व्यय (05), विज्ञापन विकय प्रचार और प्रसार व्यय (11), उत्सव और प्रदर्शनियां (30) एवं मुद्रण व्यय (39) में व्यय आशानुरूप नहीं हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप बजट Surrender/Lepse होने की संभावना के साथ जिस उद्देश्य के लिये बजट प्रावधित किया गया है, उसकी प्राप्ति नहीं होगी।

आवंटित बजट मद/उपमद **<u>विज्ञापन, विकय, प्रचार और प्रसार व्यय (11)</u>** का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं बैनर आदि के माध्यम से उपयोग कर आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

<u>उत्सव और प्रदर्शनियां (30)</u> में जिला एवं नीचे के स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में अधिनियमों के प्रावधानों को स्टॉल लगाकर प्रदर्शित करना तथा नुक्कड नाटक का आयोजन कर, राष्ट्रीय पर्वो पर झांकियों के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के प्रयास किये जा सकते है।

मुद्रण व्यय (39) में दोनो अधिनियमों के प्रावधानों के लिए संक्षिप्त रूप में पम्पलेट्स मुद्रण करवाकर, निर्धारित रसीद बुको का मुद्रण, अधिनियमों से संबंधित अधिसूचनाओं एवं आदेशों, परिपत्रों आदि का संग्रह कर बुकलेट का मुद्रण करवाकर सेवा प्रदाता विभागों के विभिन्न कार्यालयों एवं आमजन को उपलब्ध कराये जा सकते है।

सहायक निदेशक, लोक सेवाएं के **कार्यालय उपयोग हेतु बजट उपमद (05)** में राशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग कार्यालय में बिजली, पानी, टेलिफोन के बिल, स्टेशनरी क्रय, कम्प्यूटर मरम्मत, प्रिन्टर कार्टेज रिफलिंग आदि में किया जा सकता है।

अतः सहायक निदेशक, लोक सेवाएं को निर्देशित कर आवंटित बजट का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण उपयोग कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(नरेश कुमार ठकराल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज